



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251]
No. 251]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 9, 2005/ज्येष्ठ 19, 1927
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 9, 2005/JYAISTHA 19, 1927

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(बेतार योजना और समन्वय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2005

सा.का.नि. 385(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय बेतार-तार यांत्रिकी (प्रेयानुशीली सेवा) नियम, 1978 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय बेतार-तार यांत्रिकी (प्रेयानुशीली सेवा) संशोधन नियम, 2005 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय बेतार-तार यांत्रिकी (प्रेयानुशीली सेवा) नियम, 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम कहा गया है'), नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4. अनुज्ञप्तियों के प्रवर्ग : अनुज्ञप्तियों के दो प्रवर्ग होंगे, अर्थात् :—

- प्रेयानुशीली बेतार-तार केन्द्र अनुज्ञप्ति (साधारण)
- प्रेयानुशीली बेतार-तार केन्द्र अनुज्ञप्ति (निर्बंधित)।"

3. उक्त नियम के नियम 5 में,—

(क) उपनियम (1) के परन्तुक में, "केन्द्र अनुज्ञप्ति श्रेणी-2" शब्द और अंकों के स्थान पर "केन्द्र अनुज्ञप्ति (निर्बंधित)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

(ख) उपनियम (2) में, "उपनियम (1) के खण्ड" से प्रारम्भ होने वाले और "अनुदत्त कर सकती है" से समाप्त होने वाले शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, कोष्ठक, अक्षर रखा जाएगा, अर्थात् :—

"उपनियम (1) के खण्ड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार 12 से 18 वर्ष के मध्य की आयु के वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को प्रेयानुशीली बेतार-तार सेवा केन्द्र अनुज्ञप्ति (साधारण) या प्रेयानुशीली बेतार-तार केन्द्र अनुज्ञप्ति (निर्बंधित) अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर सकती है :"

4. उक्त नियम के नियम 7 में,—

(क) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ख) ऐसे व्यक्ति निम्नलिखित मापमान पर फीस का संदाय करेंगे, अर्थात् :”

(i) प्रेयानुशीली केन्द्र प्रचालन परीक्षा (साधारण) — 100/- रुपए

(ii) प्रेयानुशीली केन्द्र प्रचालन परीक्षा (निर्बंधित) — 100/- रुपए

(ख) खण्ड (ग) का लोप किया जाएगा।

5. उक्त नियम के नियम 8 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(2) इन नियमों के उपाबन्ध-2 में अनुज्ञप्ति के लिए कोई आवेदन, वांछित परीक्षा की तारीख से पूर्व एक मास के अपश्चात् नहीं किया जाएगा।”

6. उक्त नियम के नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“11. विधिमान्यता की अवधि—(1) इन नियमों के अधीन अनुदत्त कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति के प्रारम्भ की तारीख से बीस वर्ष या जीवनपर्यन्त की अवधि के लिए जारी किया जाएगा और जारी किए जाने के माह के पूर्ववर्ती माह की अंतिम तारीख को अवसान होगा।

स्पष्टीकरण :—इस नियम के प्रयोजनों के लिए “जीवनपर्यन्त” पद से अनुज्ञप्तिधारक का 80 वर्ष की आयु प्राप्त होना अभिप्रेत है।

(2) जीवनपर्यन्त अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता अनुज्ञप्तिधारक के विनिर्दिष्ट अनुरोध पर बिना किसी अतिरिक्त संदाय के एक समय पर 10 वर्ष के लिए विस्तार किया जा सकता है।”

7. उक्त नियम के नियम 12 में उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(1) केन्द्रीय सरकार के अनुदेश प्राप्त होने पर और उसके द्वारा निदेशित रीति से अनुज्ञप्ति फीस उस सरकार को निम्नलिखित मापमान के अनुसार संदेय होगी :—

अनुज्ञप्ति का प्रकार	फीस रुपए में	
	20 वर्ष	जीवनपर्यन्त
(i) प्रेयानुशीली बेतार-तार सेवा केन्द्र अनुज्ञप्ति (साधारण)	1000	2000
(ii) प्रेयानुशीली बेतार-तार सेवा केन्द्र अनुज्ञप्ति (निर्बंधित)	1000	2000”

8. उक्त नियम के नियम 14 के उपनियम (1) में :—

(क) “यथास्थिति, दो या पांच वर्ष” शब्दों के स्थान पर “बीस वर्ष” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) 1000/- रुपए फीस संदाय करेगा”

9. उक्त नियम के नियम 15 में,—

(i) “दो वर्ष” शब्दों के स्थान पर “पांच वर्ष” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) “दस रुपए” शब्दों के स्थान पर “सौ रुपए” शब्द रखे जाएंगे;

10. “उक्त नियम के नियम 17 के परंतुक में “पांच रुपए” शब्दों के स्थान पर “दो सौ रुपए” शब्द रखे जाएंगे।”

11. उक्त नियम के नियम 18 के उपनियम (1) में,—

(क) खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ii) आवेदक, प्रेयानुशीली बेतार-तार केन्द्र अनुज्ञप्ति (साधारण) धारक हो;”

(ख) खण्ड (iii) में “10 रुपए” अकों और शब्दों के स्थान पर “200/- रुपए” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

12. उक्त नियम के नियम 20 के उपनियम (2) में,—

(क) खण्ड (i) में “10/- रुपए” अकों और शब्दों के स्थान पर “100/- रुपए” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

(ख) खण्ड (ii) में “5/- रुपए” अकों और शब्दों के स्थान पर “100/- रुपए” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. एल.-14011/255/2004-एएमटी]

सी. रामाराव, सहायक बेतार सलाहकार

टिप्पण्य : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1499/78 तारीख 25 अक्टूबर, 1978 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सं. सा.का.नि. 1225, तारीख 17 अक्टूबर, 1984 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Wireless Planning and Co-ordination)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2005

G.S.R. 385(E).— In exercise of the powers conferred by sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Wireless Telegraphs (Amateur Service) Rules, 1978, namely:-

1. Short title and commencement- (1) These rules may be called the Indian Wireless Telegraphs (Amateur Service) Amendment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Wireless Telegraphs (Amateur Service) Rules, 1978 (hereinafter referred to as 'the said rules'), for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:-

“4. Categories of licence: There shall be two categories of licences, namely;-

- (i) Amateur Wireless Telegraph Station Licence (General)
- (ii) Amateur Wireless Telegraph Station Licence (Restricted).”

3. In rule 5 of the said rules,-

(a) in sub-rule (1), in the proviso, for the words and figure “ Station Licence Grade- II”, the words and brackets “Station Licence (Restricted)” shall be substituted;

(b) in sub-rule (2), for the portion beginning with the words “ Notwithstanding any thing contained” and ending with the words, Short Wave Listners' Amateur Wireless Telegraph Station Licence:”, the following words, brackets and letters shall be substituted, namely:-

“ Notwithstanding anything contained in clause (b) of sub-rule (1), the Central Government may grant to bonafide experimenters between the age of 12 and 18 years, Amateur Wireless Telegraph Station Licence (General) or Amateur Wireless Telegraph Station Licence(Restricted):”.

4. In rule 7 of the said rules, -

(a) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

“(b) such person pays the fees on the following scale, namely :

- (i) Amateur Station Operators' Examination (General) - Rs. 100/-
- (ii) Amateur Station Operators' Examination (Restricted) - Rs. 100/-”

(b) clause (c) shall be omitted.

5. In rule 8 of the said rules, for sub-rule (2) the following sub-rule shall be substituted, namely ;-

“ (2) An application for licence in Annexure-II to the rules shall be submitted not later than one month before the date of desired examination.”

6. For rule 11 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:-

“11. Period of Validity- (1) A licence granted under these rules shall be issued for a period of 20 years or lifelong as the case may be commencing on the date of issue of the licence and expiring on the last day of the month preceding the month of issue.

Explanation:- For the purposes of this rule, the expression “life long” means till the licence holder attains the age of 80 years.

(2) Validity of lifelong licence may be extended on specific request of the licence holder for 10 years at a time without any additional payment.”

7. In rule 12 of the said rules, for sub-rule(1), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

“(1) A licence fee on the following scale shall be payable to the Central Government on receipt of instructions from that Government and in the manner directed by it:-

Category of licence	Fees in Rupees	
	20 Years	Life long
(i) Amateur Wireless Telegraph Station Licence (General)	1000	2000
(ii) Amateur Wireless Telegraph Station Licence (Restricted)	1000	2000

8. In rule 14 of the said rules, in sub-rule (1):-

(a) for the words “two or five years, as the case may be,” the words “twenty years,” shall be substituted;

(b) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

“(c) Pays a fee of Rs. 1000/-”

9. In rule 15 of the said rules,-

(i) for the words “two years”, the words “five years” shall be substituted;

(ii) for letters and figures “Rs10/-”, the letters and figures , “Rs100/-” shall be substituted “

10. In the said rules, in the proviso of rule 17, for the words “rupees five”, “Rs.200/-” shall be substituted .

11. In the rule 18 of the said rules, in sub-rule (1),

(a) for clause (ii), the following clause shall be substituted namely:-

“(ii) the applicant holds an Amateur Wireless Telegraph Station Licence (General)”

(b) in clause (iii), for the letters and figures “Rs. 10/-”, the letter and figures “Rs. 200/-” shall be substituted.

12. In the rule 20 of the said rules, in sub-rule (2) , -

(a) in clause (i), for the letters and figures “Rs. 10/-”, the letters and figures “Rs. 100/-” shall be substituted;

(b) in clause (ii), for the letters and figures “Rs. 5/-”, the letters and figures “Rs. 100/-” shall be substituted.

[F. No. L-14011/255/2004-AMT]

C. RAMA RAO, Assistant Wireless Adviser

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide No. G.S.R. 1499/78 dated the 25th October, 1978 and amended vide No. G.S.R. 1225/84 dated 17th October, 1984.